

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 129 / 14

संस्थापन दिनांक:-25 / 02 / 14

फाईलिंग नं. 233504004102014

मध्यप्रदेश राज्य

द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,

जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रू द्ध

1. रामकृष्ण पिता लीलाधर सोलंकी, उम्र 25 वर्ष
निवासी एनक्यू 19-20, शक्तिनगर शोभापुर सारणी,
थाना सारणी, जिला बैतूल (म.प्र.)
2. संतोष पिता फूलचंद टेकारे, उम्र 41 वर्ष
निवासी ससाबड़, थाना आमला,
जिला बैतूल (म.प्र.)
3. गोकुल पिता अम्बीलाल रहड़वे, उम्र 37 वर्ष
निवासी ग्राम खापाखतेड़ा, थाना आमला,
जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

-(नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 13.03.2018 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 323/34, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 31.01.2014 को समय 08:00 बजे या उसके लगभग ग्राम अंधारिया प्रार्थिया का घर थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किये जिससे फरियादी गीताबाई और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी गीताबाई को स्वेच्छया उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उसकी पूर्ति में फरियादी गीताबाई को धक्का मुक्की कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 31.01.2014 को शाम करीब 8 बजे अपने घर पर थी। तभी अभियुक्तगण आये और उसे कहने लगे कि तुम यहां से चली जाओ। यहां तुम्हारा कुछ नहीं है। जिस पर उसने जाने से मना किया तो तीनों अभियुक्तगण उसे मादरचोद, बहनचोद

की गंदी गंदी गालियां देने लगे जो उसे सुनने में बुरी लगी। फरियादी द्वारा अभियुक्त को गाली देने से मना करने पर तीनों अभियुक्तगण ने उसके साथ धक्का मुक्की की और थाने पर रिपोर्ट करने पर जान से खत्म करने की धमकी दी। फरियादी द्वारा दर्ज करायी गयी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना आमला में अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्र. 98/17 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाये गये। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
3. क्या इससे उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
4. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया ?
5. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने सामान्य आशय की पूर्ति में फरियादी गीताबाई को धक्का मुक्की कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
6. क्या अभियुक्तगण द्वारा ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
7. क्या अभियुक्तगण ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
8. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 07 का निराकरण

5 गीताबाई (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने गंदी गंदी गालियां दी थी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।

6 साक्षी गीताबाई (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय गंदी गंदी गालियां दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं परंतु साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्तगण द्वारा किन-किन शब्दों का उच्चारण किया गया था। अतः अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224** अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

7 अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में साक्षी गीताबाई (अ.सा.-1) ने व्यक्त किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण उसे मारने की धमकी दी थी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनों में अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। यद्यपि साक्षी गीताबाई (अ.सा.-1) ने प्रकट किया है कि अभियुक्तगण ने घटना के समय उसे मारने की धमकी दी थी। अभियुक्तगण द्वारा उक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्तगण का उनके द्वारा दी गयी धमकी को क्रियान्वित करने का आशय रहा हो। विवाद के समय दी गयी धौंस मात्र से अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा-506 भाग-2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 04, 05 एवं 06 का निराकरण

8 गीताबाई (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त रामकृष्ण ने उसके साथ धक्का मुक्की की थी। अभियुक्त गोकुल और संतोष ने भी उसके साथ मारपीट की थी।

9 दिनेश सोनी (अ.सा.-5) ने अपने न्यायालयीन कथनों में व्यक्त किया है कि वह सीएचसी आमला में औषधी संयोजक के पद पर पदस्थ है। उसने डॉ. रोहित के साथ कार्य किया है और वह उनके हस्ताक्षरों से भली भांति परिचित हैं। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि दिनांक 02.02.2014 को डॉ. रोहित ने आहत गीता का मेडिकल परीक्षण किया था जिसमें आहत को कमर में दर्द की शिकायत थी। साक्षी ने डॉ. रोहित के द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-6) को प्रमाणित किया है।

10 प्रशांत शर्मा (अ.सा.-6) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 03.02.2014 को थाना आमला में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्र. 98/14 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 तथा उक्त दिनांक को ही अभियुक्तगण रामकृष्ण, संतोष, गोकुल को गिरफ्तार कर प्रदर्श पी-7, प्रदर्श पी-8 एवं प्रदर्श पी-9 के गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।

11 **बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि** प्रकरण में किसी स्वतंत्र साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है तथा फरियादी ने अभियोजन कथा के अनुरूप न्यायालय में कथन नहीं किये हैं। उभयपक्ष के मध्य पहले से ही विवाद चला आ रहा था जिससे झूठी रिपोर्ट की गयी है। उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियोजन कथा में संदेह की स्थिति निर्मित होती है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिए। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

12 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में साक्षी शांताबाई (अ.सा.-2), नत्थनबाई (अ.सा.-3), इंदिरा नरवरे (अ.सा.-4) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षीगण ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षीगण ने यह बताया है कि उन्हें घटना की कोई जानकारी नहीं है परंतु न्यायालय के मत में मात्र साक्षीगण का अभियोजन का समर्थन न करने से ही संपूर्ण अभियोजन का मामला प्रभावित नहीं हो जाता है क्योंकि सामान्यतः ग्रामीण परिवेश में कोई भी व्यक्ति किसी अन्य के मामले में गवाही देने से बचता है। अतः साक्षीगण का अभियोजन का समर्थन न करने से अभियोजन के मामले पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

13 प्रकरण में गीता (अ.सा.-1) आहत होकर घटना की महत्वपूर्ण चक्षुदर्शी साक्षी है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **भजनसिंह उर्फ हरभजनसिंह**

विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 2552 उल्लेखनीय है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि एक आहत साक्षी की साक्ष्य पर विश्वास किया जाना चाहिए जब तक कि उसकी गवाह को निरस्त करने के आधार अभिलेख पर न हो जो कि उसकी साक्ष्य में बड़े विरोधाभास या कमी के रूप में हो सकते हैं। अतः उपर्युक्त साक्षी की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि साक्षी के कथनों पर विश्वास कर अभियोजन के मामले को प्रमाणित माना जा सकता है अथवा नहीं ?

14 गीता (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना दो-तीन साल पुरानी ग्राम अंधारिया की उसके घर की है। अभियुक्तगण उससे कह रहे थे कि घर से निकल जाओ और उसके साथ मारपीट करने लगे थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्तगण उसके रिश्तेदार हैं। अभियुक्तगण उसे मकान का हिस्सा नहीं देना चाहते हैं इसी बात की उसे नाराजगी है। घटना दोपहर की थी। मारपीट से उसके पूरे शरीर में चोटें आयी थी। स्वतः कहा अंदरूनी चोटें थी। यदि अभियुक्तगण मकान और जमीन दे तो वह कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। साक्षी ने यह गलत होना बताया है कि मकान और जमीन के लिए थाने में रिपोर्ट की थी। स्वतः कहा मारपीट की थी इसलिए रिपोर्ट की थी।

15 अभियोजन कथा अनुसार घटना दिनांक 31.01.2014 की रात्रि 8 बजे की है। जबकि थाने में घटना की रिपोर्ट दो दिन बाद दिनांक 02.02.2014 को लेख करायी गयी है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में एवं साक्षी के कथनों में विलंब से रिपोर्ट लेख कराये जाने का कोई भी समुचित स्पष्टीकरण प्रकट नहीं हो रहा है। फरियादी ने अभियुक्तगण के द्वारा धक्का मुक्की कर मारपीट करना बताया है परंतु साक्षी के चिकित्सकीय परीक्षण में आहत को कोई भी प्रत्यक्षदर्शी चोट नहीं पायी गयी है मात्र कमर में दर्द होना पाया गया है। किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। फरियादी की साक्ष्य चिकित्सकीय साक्ष्य से भी समर्थित नहीं है। यदि तीन लोग किसी एक महिला को पीटे और एक खरोच भी शरीर पर न आये यह अत्यन्त अस्वाभाविक है। साथ ही घटना की रिपोर्ट दो दिन बाद लेख करायी गयी है एवं उभयपक्ष के मध्य पूर्व से विवाद स्थापित हैं। उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

विचारणीय प्रश्न क. 08 का निराकरण

16 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किये जिससे फरियादी गीताबाई और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं

फरियादी गीताबाई को स्वेच्छया उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उसकी पूर्ति में फरियादी गीताबाई को धक्का मुक्की कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्तगण रामकृष्ण, संतोष एवं गोकुल को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323/34, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

17 अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

18 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)